

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09082024-256234 CG-DL-E-09082024-256234

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग 11—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART 11—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY 23/12

ভাঁ , सुकान्त मजूमदार Dr. SUKANTA MAJUMDAR হিম্বা হাত্য মন্ত্রী Minister of State for Education খাহন মহকাহ/Govt. of India শা বিক্লী/New Delhi

सं. 3076]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 9, 2024/श्रावण 18, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 9, 2024/SHRAVANA 18, 1946

No. 3076]

## शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2024

का.आ. 3226(अ).—भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं वितिर्माण संस्थान, कुरनूल के अधिसूचना संख्या एफ. सं. 79-1/2021-टीएस-। तारीख 18 फरवरी, 2022 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 4, तारीख 21 फरवरी, 2022 में प्रकाशित हुए थे;

केन्द्रीय सरकार ने निदेशक और अध्यक्ष के उत्तरदायित्व के बीच स्पष्ट अंतर और केंद्र द्वारा वित्तपोषित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों में एकरूपता लाने के लिए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कुरनूल के प्रथम परिनियमों में संशोधन करने का विनिश्चयं किया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 30) की धारा 34 की उप- धारा (4) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कुरनूल के प्रथम परिनियमों में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

50

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, क्रुरनूल (संशोधन) परिनियम, 2024 है।
  - (2) इन परिनियमों में अन्यथा किए गए उपबंध के सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कुरनूल के प्रथम परिनियम में:-
  - (क) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कुरनूल के प्रथम परिनियम के, खंड (1) में "कुरनूल" शब्द के पश्चात् आंकड़े "2022" अंतःस्थापित किए जाएंगे और 21 फरवरी, 2022 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे।
  - (ख) परिनियम 35 में, खंड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
    - "(3) शासी मण्डल के अध्यक्ष के कार्यकाल की समाप्ति, मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से पद रिक्त होने की स्थिति में या अध्यक्ष की अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होने की स्थिति में, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का अध्यक्ष, कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से, छह महीने की अविध के लिए या नियमित अध्यक्ष के नामांकन तक, जो भी पहले हो, अध्यक्ष को सौंपे गए कार्यों का निर्वहन कर सकता है और कार्यकाल की समाप्ति की स्थिति में, कुलाध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल को छह महीने की अविध के लिए या नियमित अध्यक्ष के नामांकन तक, जो भी पहले हो, बढ़ा सकता है।"
  - (ग) परिनियम 36 में, खंड (15) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 75-2/2017-टीएस.I (पार्ट)] सौम्या गुप्ता, संयुक्त सचिव

व्याख्यास्मक ज्ञापन:- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कुरनूल के प्रथम परिनियम में, असावधानीवश परिनियम 1 में खंड (1) में अधिनियमन के वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया था। अतः, 21 फरवरी 2022 में वर्ष 2022 को सम्मिलित करके परिनियम 1 में संशोधन किया जाता है। यह प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कुरनूल के प्रथम परिनियम 1 के खंड (1) को 21 फरवरी, 2022 में भूतलक्षी प्रभाव प्रदान करने में किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पण: मूल परिनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 21 फरवरी, 2022 में एफ. सं. 79-1/2021-टीएस-। तारीख 18 फरवरी, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF EDUCATION (Department of Higher Education) NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2024

S.O. 3226(E).—Whereas, the First Statutes of the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kurnool notification number F. No. 79-1/2021-TS.I dated the 18th February, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 21th February, 2022;

Whereas, to have a clear distinction between the responsibilities of Director and Chairperson and uniformity across centrally funded Indian Institutes of Information Technology, the Central Government has decided to amend the First Statutes of the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kurnool.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (4) of section 34 of the Indian Institutes of Information Technology Act, 2014 (30 of 2014), the Central Government with the prior approval

of the Visitor hereby makes the following amendments to the First Statutes of the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kurnool, namely:-

- 1. Short title and commencement.-(1) These Statutes may be called the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kurnool (Amendment) Statutes, 2024.
- (2) Save as otherwise provided in these Statutes, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the First Statutes of Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kurnool,-
  - (a) In the First Statutes for Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kurnool, in Statute 1, in clause(1), after the word "Kurnool", the figures ", 2022" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 21st February, 2022.
  - (b) in Statute 35, after clause (2), the following clause shall be inserted, namely:-
    - "(3) In the event of occurrence of any vacancy in the office of the Chairperson of Board of Governors by reason of expiry of his or her tenure, death, resignation or otherwise or in the event of the Chairperson being unable to discharge his or her functions owing to absence, illness or any other cause, the Chairperson of an Institute of National Importance, may discharge the functions assigned to the Chairperson, for a period of six months or till the nomination of a regular Chairperson, whichever is earlier, with the approval of the Visitor and in case of expiry of tenure, the Visitor may extend the term of the incumbent Chairperson for a period of six months or till the nomination of a regular Chairperson, whichever is earlier.";
  - (c) in Statute 36, clause (15) shall be omitted.

[F. No. 75-2/2017-TS.l(pt.)] SAUMYA GUPTA, Ji. Secy.

Explanatory Memorandum.- In the First Statutes of the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kurnool, in Statute 1, in clause (1), the year of enactment was inadvertently not mentioned. Therefore, Statute 1 is amended by inserting the year 2022 with effect from 21<sup>st</sup> February, 2022. It is certified that by giving retrospective effect to clause(1) of Statute 1 with effect from 21<sup>st</sup> February, 2022 of the First Statutes of the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kurnool, no one shall be adversely affected.

Note: The principal Statutes F. No. 79-1/2021-TS.I dated the 18th February, 2022 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III. Section 4, dated the 21st February, 2022.

डॉ. सुकान्त मजूमदार Dr. SUKANTA MAJUMDAR शिका राज्य मजी Minister of State for Education भारत संरकार/Govt. of India मुद्दे दिल्ली/New Delhi